RRS. of CTCOAFT)/CDEONS/FARASH/SK(MIN)

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99



REGD. NO. D. L.-33004/99

°.≰

# HRGazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section & Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

स. 211] No. 211]

Charles and the second se

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 23, 2010/वैशाख 3, 1932 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 23, 2010/VAISAKHA 3, 1932

गृह मंत्रालय

. अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2010

मा का नि 347(अ) केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय रिजर्व पलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों आप करते हुए और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल योधक (समूह 'ग' और समूह 'घ') भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में आस्टेबल दफतरी), कांस्टेबल (चपरासी), कांस्टेबल (फराश) और कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी अनुसचिवीय) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु :---

 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, कांस्टेबल (दफ्तरी), कांस्टेबल (चपरासी), कांस्टेबल (फराश) और कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी अनुसचिवीय) पद भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. लागू होना.---ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ ! में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड/वेतनमान. उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

 भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.----उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरईता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उन्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवतन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो बाला हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किन्ही उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय ब्लकर द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व बैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।


1535 GI/2010

	2		THE GA	ZETTE OF IN	DIA : EXTRA	ORDINARY		[PART	11	Sec. 3(i)]
	सीधे भतीं किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	(2)	25 वर्ष से अधिक नहीं	(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेतकों के लिए साधारण अप्तरार्थियों की	शेथिल करके बातियों और शिथिल करल	सकती है ) टिप्पण 1 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी। ( न	कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,	त्रिपुरा, सिकिम,जम, कश्मीर, राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिती	जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान	और निकाबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्याथेयों के लिए विहित की गई है।
अनुसूची	सेवा में जोड़े गए वर्षे का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पॅंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुझेय है या नहीं	(9)	लागू नहीं होता				-			)
ਤਮ੍ਰ	चयन अथवा पद	(5)	लागू नहीं	ହାସା						
	वेतन बेंड और ग्रेड वेतनमान वेतनमान	(4)	वेतन बेंड- 1 5200-20200	रू०+ ग्रंड वेतन 2000						
	वर्गीकरण	(3)	साधारण केन्द्रीय र	समूह अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	•					×
	पदों की संख्या	(2)	294* (2010)	*कार्यभार के आधार पर	परिवर्तन किया जा सकता है।		-	z	,	
	पद का नाम	(1)		(दफ्तरो)						

(52)

[भाग ]]—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीखें वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार टिष्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है। में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएग परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो दो वर्ष लाग नहीं होता 10 प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती 12 14 प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। लागू नहीं होता आयु और शैक्षिक अहतपि सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित करने में किन परिस्थतियों प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा लागू नहीं होता में लागू होंगी या नहीं। σ भती विभिन्न त्त्र सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित लि A सदस्य II सदस्य I अध्यक्ष 15 होगी बोर्ड / विश्वविद्यालय प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आर्मेलन द्वारा तथा पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, पुष्टि यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 1. सहायक निदेशक या कमांडेंट, केन्द्रीय PB अनुभाग केन्द्रीय स्तीधे संयुक्त सहायक निदेशक या कमाडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीधी भती द्वारा अधिकारी या सहायक कमांडेंट, या भर्ती निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-11 13 3. प्रशासनिक अधिकारी प्राप्त शैक्षिक और अन्य अहतरि पद्वति रिजर्व पुलिस बल रिजर्व पुलिस बल 8 मान्यता मैट्रीकुलेशन। 95 केसी मती

THE GAZETTE OF INDIA [PART II--SEC. 3(i)] सरकारी दशा में जातियों शिथिल 11 (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए F त्रिपुरा, सिकिकम, जम्मू कश्मीर, राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिती जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख मेघालय नागालेड से नाम भेजने और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी। ( टिष्पण 1 : आयु सीमा अवधारित करने के शिधिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की असम, मिजोरम, मणिपुर, दश tic कार्यालयो करके 45 वर्ष तक की जा सकती और अनुसूचित जनजातियों की तारीख जो 5 होगी जिस तक रोजंगार the नहीं 市の प्रदेश, लिए विहित की गई लिए कहा गया के वह अंतिम से अधिक अरूणाचल 25 <del>वर्ष</del> 15 होता लागू नहीं 9 लागू नहीं होता (2)वेतन 2000 रू0 <u>م</u>ر 5200-20200 4 रू०+ ग्रेड वेतन सेवा (अनुसचिवीय) र्च् अराजपत्रित साधारण केन्द्रीय (e)समह के आधार किया जा सकता है। \*कार्यभार पर परिवर्तन 413\* (2010) 5 किया (चपरासी) कांस्टेबल



		56	
6		THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PA	ART II-SEC. 3(i)]
	(2)	25 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिशिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में शिशिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है) दशा में शिशिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है) दशा में शिशिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है) टिष्ण 1 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी। (न कि वह आंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,जम्मू कश्मीर, राज्य के लददाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और रिपती जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लसद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। या लसद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिष्ण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह ओतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	
	(9)	होता होता होता	
	(2)	लागू होता	
	. (4)	वेतन बैंड– 1 5200–20200 रुतन 2000 रुत	
3  	(3)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसाचिवीय)	
	(2)	60* (2010) *कार्यभार के आधार परिवर्तन विवया जा सकता है।	
	(1)	3. (फराश)	
· · · ·	•		· · · · ·

57 II CEPTER PERFE [भाग []—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण दो वर्ष 14 लागू नहीं होता 10 लागू नहीं होता (12) 13 समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, पुष्टि के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— लागू नहीं होता सदस्य II सदस्य I आध्यक्ष σ 3. प्रशासनिक अधिकारी या अनुभाग अधिकारी या सहायक कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल संयुक्त सहायक निदेशक या उप कमाडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सहायक निदेशक या कमाउंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड⁄विश्वविद्यालय से मैट्रीकुलेशन। सीधी भर्ती द्वारा (11) 8 N

					C	3					
8		•	T	HE GAZET	FE OF IND	IA : EXTRA	AORDINARY	(	[Par	T II—Se	c. 3(i)]
(2)	25 वर्ष से अधिक नहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी	अनुदेशों या आदेशों के सेवकों के लिए साधारण	की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा यकती है )	: आयु सीमा अवधारित त माक्त वागीम वव भारित	ालर ानणायय पाराख पर आन्तान ताराख होगी। ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,	नागालेंड, त्रिपुरा, सिक्किम,जम्मू कश्मीर, राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और रिपती जिले तथा चम्बा जिले के पांगी	और निकोबार द्वीप यों के लिए विहित क	टिष्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से	की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह	अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया	10
(9)	लागू नहीं होता	×			÷	U.		· .		۰۱ <i>۰</i>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(5)	लागू नहीं होता						8				
(4)		रेतन 2000 रू0		- - -				÷			
(3)	साधारण केन्द्रीय सेवा समह 'ग'	अराजपत्रित (अनुसचिवीय)		×	-	•			1		
(2)	60* (2010) * <del>201</del> 0	भगवनार के आधार पर परिवर्तन	किया जा सकता है।							. •	
(1)	4. कांस्टेबल (सफाई	कर्मचारी अनुसचिवीय)					-				10

.

Chiller Chiller Contraction 7 

[भाग ]]—खण्ड 3(i	)]		 	भारत का राजपत्र	: असाधारण			9
10 दो वर्ष	(12)	लागू नहीं होता	14	लाम् नहीं होता				≻ [फा. सं. आर. 9-1/2010 मिन./सीआरपीएफ/कार्मिक-2] एस. सी. शिवाजी राव, उप-सचिव (कार्मिक-1)
िकसी 8 9 किसी मान्यता प्राप्त लागू नहीं होता बोर्ड∕विश्वविद्यालय से मैट्रीकुलेशन।	(11)	सीधी भर्ती द्वारा	13	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, पुष्टि के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :	1. सहायक निदेशक या कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	2. संयुक्त सहायक निदेशक था उप कमाडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	3. प्रशासनिक अधिकारी या अनुभाग अधिकारी या सहायक कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	

59

1535 MI 10-3

# THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## NOTIFICATION

### New Delhi, the 20th April, 2010

G.S.H. **347(E)**.—In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in supersession of the Central Reserve Police Force Combatised (Group 'C' and Group 'D' posts), Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Constable (Daftry), Constable (Peon), Constable (Farash) and Constable (Safai Karmachari Ministerial) in the Central Reserve Police Force under the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and **commencement.**—(1) These rules **may** be called the Central Reserve Police Force Constable (Daftry), Constable (Peon), Constable (Farash) and Constable (Safai Karmachari Ministerial) Kecruitment Kules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. — These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, their classification and pay band and grade **pay/scale** of **pay**.—The number of the said posts, their classification and pay band and grade **pay/the** scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, **etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

# 5. Disqualification.-No person,-

10

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts

trovided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, **exempt** any person from the operation of this rule.


6. Power to relax. —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary of expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, **Ex**-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

.

C)

Circumtances Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	(14)	Not	-homendate			() 																			•					
If a departmental promotion committee exists, what is its composition.	(13)	Group 'C' Denartmental	Promotion Committee	for confirmation	consisting of :-	or Commandant.	Central Reserve Police	Force-Chairman	2. Joint Assistant	Director or Deputy	Commandant	Central Keserve Police	Force -Member-I		5. Administrative	Officer of Section	Compared of Assistant	Control Decerve Bolice	Force -Member II	A ULU TREMDER AL									•	-
In case of recruitment by promotion or deputation or absorption which promotion or deputation or absorption to be hade.	(12)	Not applicable.															ł											`		
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/or absorption and absorption and procentage of vacancies to be filled by various methods.	(11)	By direct recruitment									e)				*	9		,												
Period of probation, if any.	(10)	Two years.																									•		1	9
Whether age and cducational qualifications prescribed for therecruitment will apply in the case of promotees.	. (6)	Not applicable.																		s.										-
Educational and other qualifications required for recruits.	(8)	Matriculation	recognized	Board/	University.					.0				•						-										
Àge limit for direct recruits.	6		(Relaxable for	Government	servants upto the	age of 40 years	general	candidates and	Sched	Caste or the	Scheduled Tribe	candidates in	accordance with	instructions or	IS IS	the Central	nment	irom unic to	Noter   The	NOUC:-1. JIK	crucial usic ion	determining une	age munt suan	date for monim		from candidates	in India (and not	the closing date	prescribed for	those in Assam,
Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Services Services 1972.	(9)	+	applicable.																											
Whether Selection post or selection post.	(2)	Not	applicable													,														
Pay band and Grade Pay/ Pay Scale	(4)	Pay band I	Rs.5200- 20200 nlus	Grade pay	Rs.2000.																									
Number of Classification.	3	General	Central	75		Gazetted	(MINISTCHEN).		 												·									
Number of posts.	10	294*	(2010) *Subject to	variation	depending	5	workload.																							
Name of Post.		1. Constable	(Daftry)					_													-		•						ň	ſ





ŝ -

[भाग ]]—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

13

63

11-खण्ड	53	(1)]													113		101	राः	44	1		141	धार			· · · · · ·									
(14)	Not	applicable.	:				,	•																	·		× ,								
	Groun'C' Departmental	Promotion Committee for confirmation	consisting of :- 1. Assistant Director or	Commandant, Central	Reserve Police Force-	Chairman.	2 Inint Accietant	Director or Deputy	Commandant,	Central Reserve Police	Force -Member- I		3. Administrative	Uthcer or Section	Ulticer of Assistant	Decomo Delice Come	Keserve rolice rolice -	Member - II						71						ð					
(13)	Not																																		
00	Ru direct	recruitment.														• ,	•					×				,									
	Two	ycars.																																	
*	No. (7)	applicable																																	
	(8)		Board	ULEIVERSILY				1					•						•																
· · ·	( <u>1</u> )	Not exceeding 23 years (Rejaxable for Government	years in the case of general	candidates and 45 years in	or the Scheduled Tribe	candidates in accordance		issued by the Central	Government from time to	tune).	Note:-1. Inc crucial date for	shall he the closing date for	receipt of a applications	from candidates in India	(and not the closing date	prescribed for those in	Assam, Mcghalaya,	_	Mizoram, Manipur,	Nagaland, Tripura, Sikkim,	Ladakh Ulvision of Jamin	and Nation District and Paner	Sub-Division of Chamba	District of Himachal	Pradesh, the Union	Territory of the Andaman	8	(IUII)	Note 2. The crucial date for	determining the age limit in	the case of candidates from	Employment Exchanges	shall be the last date upto	94	nominate candidation.
	(9)	Not applicable		9																	. *							*	c						
-	(2)	Not applicable	•												2											<b>ن</b> موند :									
14 S	(4)	Pay band I Rs.5200-	Grade pay	Rs.2000.																															
	(3)	General Central	Service, Group-'C',	Non-Gazetted	(Ministerial).	3		-											÷								194 1	r						•	
S	(2)	413* (2010)	*Subject to variation	dcpcnding		workload.	,					R																							
-	(U) ·	2. Constriction (Pcon).	3. 3.	~-																.•		-													

153565110-4

	(L'Y)
14	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [Part 11-Sec. 3(i)
. ****	applicable.
	(13) Group VC Departmental Promotion Committee for consisting off- 1. Assistant Director or Commandant, Central Reserve Police Force- Member-I 3. Administrative Officer or Section Officer or Section
	applidie
	(11) By direct
<b>ب</b> ا	wo years.
	of the second se
×	(g) from a recognized Board/ University
× .	(7) Not exceeding 25 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and 45 years in case of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe candidates in acodance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note-1. The crucial date for here is applications from candidates in India (and not the closing date for receipt of a applications from candidates in India Arumachal Note:-1. The crucial date for hoter-1. The crucial date for hoters. Arumachal Note:-1. The crucial date for receipt of a applications from candidates in India (and not the closing date for receipt of a applications from candidates in India Arumachal Namipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Inandua District and Pangi Sub-Division of Chamba District and Arabaul and Nicobar Islands or the Union Territory of the Andarnan and Nicobar Islands or the Union Territory of Lashadweep). Lashadweep) Lashadweep Nuch the last date upto which the Employment Exchanges are asked to nominate candidates.
- *	Not app Eable
	(5) Not applicable.
	(4) Rs.5200- 20200 plus Grade pay of Rs.2000
Norman	(3) General Central Service, Group-'C', Non- Gazetted (Ministerial).
	(2) 60 * (2010) *Subject to variation depending on workload.
	(1) 3. Constable (Parash)

(1)			(4)	(5)	(6)	N/I	(8) · · ·		the state of the s	(11)	(12)	(13)	(14)
Constable	(2) 60*	(3) General	Pay band I	Not	Not	Not exceeding 25 years	Matriculation	Not applicable.	Two	By direct recruitment	Not	Group 'C' Departmental	Not
Safai	(2010)	Central	Rs.5200-	applicable	applicable	(Relaxable for Government	from a		years		applicable	Promotion Committee	applicable
Carmachari	*Subject to	Service.	20200 plus			servants upto the age of 40	recognized				1.1.1	for confirmation	
dinisteria?)	variation	Group-'C',	Grade pay			years in the case of general	Board/		1			consisting of :-	
, and the second s	depending	Non-	of Rs.2000.			candidates and 45 years in case	University.					1. Assistant Director or	
	on	Gazetted				of the Scheduled Caste or the			- I			Commandant, Central	
	workload.	(Ministerial).			1	Scheduled Trike candidates in				•		Reserve Police Force-	
	Horkioud.	(ministeriul).				accordance with instructions or			1 1			Chairman.	
	1					orders issued by the Central							
				,		Government from time to				•.		2. Joint Assistant	1
						time).				х <sup>*</sup>		Director or Deputy	
		1	[			Note:-I. The crucial date for						Commandant,	
						determining the age limit shall						Central Reserve Police	
						be the closing date for receipt						Force -Member- I	
						of a applications from						1 Olec -Member - 1	
						candidates in India(and not the						3. Administrative	
						dosing date prescribed for						Officer or Section	
						those in Assam, Meghalaya,						Officer or Assistant	
	[					Arunachal Pradesh, Mizoram,				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Commandant, Central	
						Manipur, Nagaland, Tripura,						Reserve Police Force -	
		``										Member -II	
						Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State,						Member -11	
		Y.				Lahaul and Spiti District and						• •	
						Pangi Sub-Division of Chamba							
						District of Himachal Pradesh,							
						the Union Territory of the							
						Andaman and Nicobar Islands							
						a the Union Territory of							
						Lakshadweep).							
						Note 2. The crucial date for							
						determining the age limit in the							
				<u>^</u>		case of candidates from							
						Employment Exchanges shall							
						be the last date up to which the							
						Employment Exchanges are asked to nominate candidates.							
						asked to nonlinate candidates.							
													1
										[F. N	b. R. IX.	1/2010-Min./CRPF	Pers-[1]
										9	C. SIVA	RAO, Dy. Secy.	(Pers -I)
										0.	- 01 11 W		(* and 1)

Υ.,

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

----

1

1

.

11